



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102025-267076
CG-DL-E-22102025-267076

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4655]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 22, 2025/आश्विन 30, 1947

No. 4655]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2025/ASVINA 30, 1947

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4789(अ).— केंद्रीय सरकार, बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का 16) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 नवंबर, 2025 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 10, धारा 11, धारा 12 और धारा 13 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 7/19/2023-बीओए-1]

आशीष माधवराव मोरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2025

S.O. 4789(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Banking Laws (Amendment) Act, 2025 (16 of 2025), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 2025 as the date on which the provisions of sections 10, 11, 12 and 13 of the said Act shall come into force.

[F. No. 7/19/2023-BOA-I]

ASHISH MADHAORAO MORE, Jt. Secy.